



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA



आरबीआई /2024-25/130

विवि.सीआरई.आरईसी. 69/07.10.002/2024-25

24 मार्च 2025

वेतन अर्जक बैंकों के अलावा प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदया / महोदय,

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) संबंधी लक्ष्य की समीक्षा- शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी)

दिनांक 13 मार्च 2020 के परिपत्र डीओआर (पीसीबी).बीपीडी.परि. सं.10/13.05.000/2019-20 के पैराग्राफ 3 के साथ पठित दिनांक 8 जून 2023 के परिपत्र विवि.सीआरई.आरईसी.18/ 07.10.002/ 2023-24 के पैराग्राफ 2 के अनुसार यूसीबी को वित्त वर्ष 2025-26 तक एएनबीसी¹ अथवा सीईओबीएसई², जो भी अधिक हो, के 75 प्रतिशत का समग्र पीएसएल लक्ष्य प्राप्त करना आवश्यक है, जिसमें 60 प्रतिशत (वित्त वर्ष 2023-24) और 65 प्रतिशत (वित्त वर्ष 2024-25) का अंतरिम लक्ष्य है।

2. समीक्षा पर, वित्त वर्ष 2024-25 से यूसीबी के लिए समग्र पीएसएल लक्ष्य को संशोधित कर एएनबीसी अथवा सीईओबीएसई, जो भी अधिक हो, का **60 प्रतिशत**, करने का निर्णय लिया गया है। दिनांक 8 जून 2023 के परिपत्र विवि.सीआरई.आरईसी.18/ 07.10.002/ 2023-24 में निहित अन्य प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।

3. इस परिपत्र में निहित अनुदेश अनुबंध में दिए गए मौजूदा उपयुक्त अनुदेशों का अधिक्रमण करेंगे।

भवदीय,

(वैभव चतुर्वेदी)
मुख्य महाप्रबंधक

¹ समायोजित निवल बैंक ऋण

² तुलनपत्र बाह्य एक्सपोज़र के समतुल्य ऋण राशि

अनुबंध – कुछ परिपत्रों के विशिष्ट पैराग्राफ जिनका अधिक्रमण किया गया है

क्र. संख्या	परिपत्र	जारी दिनांक	विषय
1.	परिपत्र विवि.सीआरई.आरईसी.18/07.10.002/2023-24 के पैराग्राफ 2 में शामिल समग्र पीएसएल लक्ष्य से संबंधित प्रावधान	08 जून 2023	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) संबंधी लक्ष्य / उप-लक्ष्य और पीएसएल लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमी के प्रति अंशदान – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) – समयावधि में विस्तार
2.	परिपत्र डीओआर (पीसीबी).बीपीडी.परि. सं.10/13.05.000/2019-20 के पैराग्राफ 3 में शामिल समग्र पीएसएल लक्ष्य से संबंधित प्रावधान	13 मार्च 2020	एकल और समूह उधारकर्ताओं/पार्टियों के लिए ऋण जोखिम (एक्सपोजर) और बड़े एक्सपोजर की सीमाएँ तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण संबंधी लक्ष्य में संशोधन - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक